**सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908**

**(Code of Civil Procedure, 1908)**

**धारा 10 सिबिल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र**

**(Application under section 10 CPC)**

न्यायालय. ........

वाद नंबर ....... सन् ....

अ०ब०स० .... .... वादी

**बनाम**

स०द०फ० ............. प्रतिवादी

उपरोक्त नामांकित वादी निम्न प्रकार सविनय कथन करता है :

1. यह कि प्रार्थी/वादी द्वारा इस मान्य न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक ............ को वाद दायर किया गया है।
2. यह कि प्रतिवादी द्वारा इसी मान्य न्यायालय में वादी/प्रार्थी को प्रतिवादी बनाते हुए एक वाद दायर किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी की गई है।
3. यह कि प्रतिवादी द्वारा दायर वाद में वही विवादयक का विषय प्रत्यक्ष रूप से व सारवान रूप से दर्शाया गया है जो कि प्रार्थी/वादी द्वारा दायर किये गये वाद में पूर्व में ही दर्शाया जा चुका है और पक्षकार भी समान हैं।
4. यह कि वादी द्वारा दायर वाद इस मान्य न्यायालय में सुनवाई के लिए लम्बित है।
5. . यह कि मान्य न्यायालय को अधिकार है कि दोनों वादों में मांगे गये अन्तोष को प्रदान करे । प्रतिवादी द्वारा दायर वाद की कार्यवाही विधि के अनुसार स्थगित होने योग्य है ।

**प्रार्थना**

अत: अत्यन्त विनयपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी द्वारा दायर वाद की सुनवाई तब तक स्थगित कर दी जाए जब तक वादी द्वारा दायर वाद की सुनवाई और उसका निस्तारण अन्तिम रूप से न हो जाए।

**दिनाँक…… प्रार्थी….**

**द्वारा अधिवक्ता …..**

**दिनांक ............ स्थान……**

**नोट** - शपथ पत्र नत्थी किया जाये।